प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.06.2024

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.06.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर कि एक मोटरसाइकिल सवार द्वारा शराब के नशे में बिना किसी कारण के फायरिंग की गयी जिसमें वहां पर मौजूद एक कुत्ते के पिल्ले की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जिसके संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात आज दिनांक 28.06.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मूवी मैजिक वाले रास्ते से 02 अभियुक्तों 1-मनीष उर्फ बाबू पुत्र जसवंत सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी डी ब्लाक, लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2-मोहित उर्फ नागर उर्फ पंडित पुत्र गंगादत्त उम्र 22 वर्ष निवासी नन्दनगरी, थाना नन्दनगरी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त अवैध एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने अपने दोस्त शिवम गंजा उर्फ बादल उर्फ चिंटू निवासी बी ब्लाक विकास कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के साथ दिनांक 26.06.2024 को शराब पीकर गली में घूम रहे थे तो एक लड़के ने हमें यहां से जाने के लिए कहा कि यहां शराब पीकर नाटक मत करो और यहा से चले जाओ तो मनीष द्वारा अपने पास रखे हुए तमंचे से फायरिंग कर दी थी जो कुत्ते के पिल्ले को लग गई थी और उसके बाद हम वहां से भाग गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1- मनीष उर्फ बाबू पुत्र जसवंत सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी डी ब्लाक, लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद

2- मोहित उर्फ नागर उर्फ पंडित पुत्र गंगादत्त उम्र 22 वर्ष निवासी नन्दनगरी, थाना नन्दनगरी दिल्ली

वांछित अभियुक्त

शिवम गंजा उर्फ बादल उर्फ चिंटू निवासी बी ब्लाक विकास कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

अवैध एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा आॅनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 86,000/-रूपये खाते में होल्ड कराये गये।

दिनांक 28.02.2024 को वादी श्री गौरव चैधरी निवासी अहिंसा खण्ड थाना इन्दिरापुरम कमिष्नरेट गाजियाबाद को टेलीग्राम ग्रुप ।9 ळवसक ब्तनकम वपस समंतदपदह हतवनच एवं 10 ळवसक ब्तनकम वपस विि‍पबपंस जतंकपदह हतवनच में जोडा गया तथा अपने आप को प्ब्म् इन्वेस्टमेंट गुरुप हेड क्वाटर सिंगापुर का बताकर प्ब्म् के फर्जी एप में एकाउन्ट खुलवाकर निवेष के बहाने दिनांक 28.02.2024 से दिनांक 25.03.2024 तक वादी से कुल 7 लाख 10 हजार रूपये भिन्न-2 खातों में ट्रांसफर कराकर ठगी किये गये। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री गौरव चैधरी द्वारा दिनांक 08.05.2024 को थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0-117/2024 धारा-420,467,468,471,34 भादंवि व 66डी आईटीएक्ट पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री अनिल कुमार द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी और दिनांक 28.06.2024 को साक्ष्य के आधार पर वसुन्धरा सेक्टर-11 इन्दिरापुरम से अभियुक्त 1. राहुल पुत्र बिजेन्द्र कुमार निवासी गांव दल्लुपुरा थाना न्यु अषोक नगर, नई दिल्ली-96 (उम्र करीब-33 वर्ष) 2. पवन उर्फ सौरभ यादव पुत्र मिश्री लाल यादव निवासी ए-123 कृष्णा पार्क देवली थाना नेव सराय दिल्ली-80(उम्र करीब-33 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।

<u>अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण</u>-अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर टेलीग्राम ग्रुप ।9 ळवसक ब्तनकम वपस समंतदपदह हतवनच एवं 10 ळवसक ब्तनकम वपस विि‍पबपंस जतंकपदह हतवनच में जोडकर अपने आप को प्ब्म् इन्वेस्टमेंट गुरुप हेड क्वाटर सिंगापुर का बताकर प्ब्म् के फर्जी एप में एकाउन्ट खुलवाकर निवेष के बहाने दिनांक 28.02.2024 से दिनांक 25.03.2024 तक वादी से कुल 7 लाख 10 हजार रूपये भिन्न-2 खातों में ट्रांसफर कराकर ठगी करना बताया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1. राहुल पुत्र बिजेन्द्र कुमार निवासी गांव दल्लुपुरा थाना न्यु अषोक नगर, नई दिल्ली-96 (उम्र करीब-33 वर्ष)। षिक्षा-बी0का ॅम

2. पवन उर्फ सौरभ यादव पुत्र मिश्री लाल यादव निवासी ए-123 कृष्णा पार्क देवली थाना नेव सराय दिल्ली-80(उम्र करीब-33 वर्ष) षिक्षा-बी0का ॅम

अनावरित अभियोग का विवरण-मु0अ0सं0-117/2024 धारा-420,467,468, 471,34 भादंवि व 66डी आईटीएक्ट।

<u>बरामदगी अभियुक्तगण</u>-07 मोबाइल फोन, 03 मोहर, 04 चैकबुक, 01 कैश डिपोजिट बुक, 01 पासबुक, 01 चैक, 03 एटीएम कोर्ड, 04 पेन कार्ड, 02 आधार कार्ड, 05 सिमकार्ड बरामद तथा 86,000/-रूपये बैंक में होल्ड कराये गये।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिष्नरेट गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 28.06.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त प्रिंस कुमार पुत्र बाल सिहं म0नं0-1056 मैन रोड रामनगर अर्थला मोहन नगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को 80 फुटा रोड थाना शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने यह मोटर साइकिल मुरादनगर से चोरी की है। जिसको मे राह चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेचने की फिराक में था और जो रुपये मिलते है उसी से अपना व अपने परिवार वालों का खर्चा चलाता।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

प्रिसं कुमार पुत्र बाल सिहं म0नं0-1056 मैन रोड रामनगर अर्थला मोहन नगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी विवरण-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द थाना मुरादनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा फोन पर रंगदारी मांगने व रंगदारी न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 27.06.2024 को थाना टीलामोड पर वादी विकास पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी सी 151 हर्ष विहार-2 भौपुरा गाजियाबाद द्वारा अनजान फोन धारक द्वारा वादी के मोबाइल फोन पर फोन करके 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने व रुपये ना देने पर वादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना टीलामोड़ तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर विकास पुत्र ओम प्रकाश से फोन पर रंगदारी मांगने व रंगदारी न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्त 1.विनोद कुमार उर्फ डेनियल उर्फ गुरू पुत्र देवराज निवासी बी – 119 हर्ष

विहार द्वितीय थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष, 2. पंकज फागुनी पुत्र उमेद फागुनी निवासी चोटपुर सैक्टर 63 थाना सैक्टर 63 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर मूल पता गांव सुनौली थाना ताकुला जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड उम्र 25 वर्ष को भौपुरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुआ। अभियुक्तों उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:</u> गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया की हम दोनों (विनोद व पंकज) आपस में दोस्त है। हम दोनो नोएडा में कॉल सैन्टर में काम करते है। हमारी सैलरी कम है और हमारे खर्चे ज्यादा है जिस कारण हम जुआ व ऑनलाइन गेम भी खेलते है। हम दोनो मित्रों को रूपयो की बहुत जरूरत थी तब हम दोनो ने मिलकर एक षडयन्त्र बनाकर हर्ष विहार द्वितीय में विनोद के घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति विकास के मोबाइल नम्बर पर काल की थी और उससे 30 लाख रूपये का इन्तजाम महिने के अंत तक करने के लिये कहा था और धमकी दी थी कि अगर महिने के अन्त तक रुपये नही दिये तो परिवार में पाँच लोगो में से हर साल एक व्यक्ति को जान से मार देंगे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:</u>

1. विनोद कुमार उर्फ डेनियल उर्फ गुरू पुत्र देवराज निवासी बी – 119 हर्ष विहार द्वितीय थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष ।
2. पंकज फागुनी पुत्र उमेद फागुनी निवासी चोटपुर सैक्टर 63 थाना सैक्टर 63 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर मूल पता गांव सुनौली थाना ताकुला जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड उम्र 25 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण:</u>

- घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:</u>

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।